मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक-185/1135240/2023/20-3 भोपाल, दि0 07/3/2023

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को **सी0बी0एस0ई0** नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

संदर्भः- इस विभाग का आदेश/पत्र क्रमांक-1249/2017/20-3, दिनांक 30.6.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश/पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ अतः अनुरोध है कि अशासकीय-माउन्ट लिटेरा जी स्कूल डेलनपुर रतलाम, जिला-रतलाम, म0प्र0 को सीबीएसई0 से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था के ***स्थान*** पर स्कूल का नाम **अशासकीय-एलिट ग्लोबल स्कूल रतलाम, डेलनपुर सैलाना रोड रतलाम, जिला-रतलाम, म0प्र0 पढ़ा जाय।** शेष आदेश यथावत्।

3/3/23

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक-186/1135240/2023/20-3 भोपाल, दि0 07/3/2023

प्रतिलिपिः-

(1) विशेष सहायक, मान0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
(2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
(3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
(4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ...., म0प्र0
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-रतलाम, म0प्र0
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-**एलिट ग्लोबल स्कूल रतलाम, डेलनपुर सैलाना रोड रतलाम, जिला-रतलाम, म0प्र0।**
(7) फोल्डर प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/3/23

उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by TapScanner

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक- /124 .2017/20-3 भोपाल, दि0 30/6/2017
एफ.

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-माउन्ट लिटेराजी स्कूल डेलनपुर रतलाम, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु *अनापत्ति प्रमाण* पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता हैः-

(1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि अधिकारी को नामांकित किया जाय।

(2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।

(3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी **मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की** मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

(6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

निरन्तर..2

Scanned by TapScanner